न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 120/ 2020 **दायर तारीख :– 24-08-2020**

1. अजय कुमार दायमा पुत्र श्री स्व0 श्री दाताराम गुर्जर निवासी बादशाहपुर पंचायत सोठाना तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान। **— प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)। **— अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

भू–राजस्व अधिनियम बाबत नाम दुरूस्ती

उपस्थित : श्री विनोद कुमार गुर्जर , अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–10.09.2020

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम बादशाहपुर के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 133/0.25, 161/0.21, 318/0.30 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 एवं खाता संख्या 41 के खसरा नंबर 138/0.58 हैक्टेयर में हिस्सा 1/12 खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। यह है कि प्रार्थी के पिता के फौत हो जाने के बाद समाधान शिविर दिनांक 26.01.1999 को विरासत का नामान्तकरण उस समय प्रार्थी को पुकारे जाने वाले नाम कृष्ण पुत्र श्री दाताराम गुर्जर के नाम से खुल गया। यह है कि नामान्तकरण के दौरान प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज करते हुए कृष्ण पुत्र दाताराम गुर्जर अंकित कर दिया, जो की लिपिकीय भूल है, जो कि दुरूस्त करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी का सही नाम अजय कुमार दायमा पुत्र दाताराम गुर्जर ही है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से कृष्ण पुत्र दाताराम गुर्जर दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वास्तविक नाम अजय

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कुमार दायमा पुत्र दाताराम गुर्जर है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम बादशाहपुर के के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 133/0.25, 161/0.21, 318/0.30 हैक्टेयर की खातेदारी एवं खाता संख्या 41 के खसरा नंबर 138/0.58 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्ण पुत्र दाताराम गुर्जर के बजाय अजय कुमार दायमा पुत्र दाताराम गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बादशाहपुर खाता संख्या 45 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बादशाहपुर खाता संख्या 41 संवत् 2076–2079, फोटो प्रति नामान्तकरण जमाबंदी, ग्राम पंचायत सोठाना द्वारा जारी कुर्सीनामा, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र श्री दाताराम गुर्जर, फोटो प्रति 8 वीं कक्षा अंकतालिका, फोटो प्रति माध्यमिक परीक्षा–2012 अंकतालिका, फोटो प्रति उच्च माध्यमिक परीक्षा–2014 अंकतालिका, फोटो प्रति बी.ए. पार्ट–1 परीक्षा अंकतालिका, फोटो प्रति बी.ए. पार्ट–2 परीक्षा अंकतालिका, फोटो प्रति बी.ए. पार्ट–3 परीक्षा अंकतालिका, फोटो प्रति एम.ए. प्रवेश परीक्षा अंकतालिका, फोटो प्रति एम.ए. अंतिम परीक्षा अंकतालिका, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 7496-3541-9228, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007917800149, फोटोप्रति भामाशाह कार्ड, फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण–पत्र, फोटो प्रति जाति प्रमाण–पत्र, ग्राम पंचायत सोठाना लैटर पैड प्रमाण पत्र आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम बादशाहपुर के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 133/0.25, 161/0.21, 318/0.30 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 एवं खाता संख्या 41 के खसरा नंबर 138/0.58 हैक्टेयर में हिस्सा 1/12 खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में पैरोकार सरकार ने जवाब सरकार में प्रार्थी का नाम कृष्ण पुत्र दाताराम के स्थान अजय कुमार दायमा पुत्र स्व0 श्री दाताराम जाति

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

गुर्जर करने का कथन किया है। यह भी कि प्रार्थी अजय कुमार दायमा पुत्र श्री स्व0 दाताराम गुर्जर के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात,, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 7496-3541-9228,, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007917800149 आदि में वास्तविक नाम अजय कुमार दायमा पुत्र श्री दाताराम गुर्जर है। अतः प्रार्थी अजय कुमार दायमा पुत्र श्री दाताराम गुर्जर का नाम काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकै ग्राम बादशाहपुर के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 133/0.25, 161/0.21, 318/0.30 हैक्टेयर की खातेदारी एवं खाता संख्या 41 के खसरा नंबर 138/0.58 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्ण पुत्र दाताराम गुर्जर के बजाय अजय कुमार दायमा पुत्र श्री दाताराम गुर्जर दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.09.2020 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)